माफिया के अपराध पर पुलिस के साथ अन्य विभाग भी करेंगे कार्रवाई

कलेक्टर ने जांच के लिए समिति गठित की, हर 15 दिन में होगी बैठक

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में माफियाओं द्वारा किए जाने वाले हर अपराध की पुख्ता सजा के लिए पुलिस के साथ अन्य विभाग भी कार्रवाई करेंगे। भू-माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, राशन माफिया या अन्य गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों की पुलिस जांच के साथ अब यह भी देखा जाएगा कि उनके द्वारा अवैध निर्माण या अनुमति के विरुद्ध निर्माण, अवैध शराब व्यापार तो नहीं किया गया है। इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक समिति गठित की है। ऐसा समिति द्वारा जांच में ठोस जानकारी मिलती है तो संबंधित के अन्य अधिनियमों में भी प्रभावी कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न श्रेणी के माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इधर कलेक्टर को जानकारी मिली है कि विभिन्न अपराधों के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में भारतीय दंड संहिता के तहत तो माफियाओं पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा अन्य अधिनियम का उल्लंघन व अन्य अवैध कार्य किए गए हैं तो उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। अब अपराध में पुलिस के साथ अन्य विभाग भी जांच करेंगे।

इस तरह होगी कार्रवाई

कलेक्टर द्वारा निर्देशित दिए गए हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने वाले व्यक्तियों, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों, जघन्य अपराध में शामिल होने वालों, शराब माफिया, ड्रग माफिया, चिटफंड माफिया, राशन माफिया आदि के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए जाते हैं उनमें यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उस व्यक्ति के द्वारा अन्य अपराध जैसे शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण, अनुमति के विरुद्ध निर्माण, अवैध शराब व्यापार, कमजोर वर्गों पर अत्याचार जैसे कार्य तो नहीं किए गए हैं। इसके लिए गठित समिति में अपर कलेक्टर, एसडीएम रतलाम शहर, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी तथा उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को शामिल किया गया है।

गठित की गई समिति प्रत्येक 15 दिवस में अपनी बैठक आयोजित करेगी। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत करेगी जिस पर कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर विधि अनुसार कार्रवाई होगी। अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी रहेगी कि हर 15 दिनों में प्रकरणों की समीक्षा करके रिपोर्ट अनिवार्य रूप से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वई.

नईदुनिया 18/11/21

व्यापारियों ने जताई खुशी, लेकिन सतर्क रहने की अपील भी

प्रतिबंध हटे, अब सावधानी के साथ करना होगा काम

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना काल में करीब नाइट कर्फ्यू, आयोजनों में मेहमानों की सीमिति संख्या सहित अन्य प्रतिबंधात्मक निर्देशों का करीब 22 महीने से पालन करने के बाद बुधवार को सीएमम शिवराजसिंह चौहान द्वारा सभी प्रतिबंध खत्म करने का ट्वीट करने पर व्यापारी, आमजन खुश दिखाई दिए। इसके साथ ही नियमों के पालन को लेकर गंभीरता बरतने की बात भी कही।

मालूम हो कि 15 नवंबर देवउठनी ग्यारस से मांगलिक आयोजनों की शुरुआत हो गई है। अभी 300 लोगों की अधिकतम सीमा तय की गई थी, वहीं बड़े धार्मिक, सामाजिक आयोजन भी

नहीं हो पा रहे थे। सिनेमा हाल, मैरिज गार्डन, माल में भी ज्यादा भीड़ नहीं आ रही थी। प्रतिबंध समाप्त होने से अब बाजार में भी माहौल अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

सभी मिलकर पालन करेंगे, कोरोना से अंतिम लड़ाई

शासन से सभी प्रतिबंध खत्म करने के निर्देश जारी होने के बाद अब हम सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि कोरोना से बचाव के लिए तय नियमों का स्वत: पालन करें। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। प्रतिबंध समाप्त होने से व्यापार भी पहले की तरह बेहतर हो सकेगा।

-ललित दख,
संचालक अमृत गार्डन

कोरोना से लड़ाई अब अंतिम दौर में है। नए केस की संख्या अब अधिकांश दिनों में 0 ही है। मेले व अन्य सांस्कृतिक आयोजनों से माहौल में छाई निराशा भी दूर होगी। अब हम सबको भी नागरिक कर्तव्यों का पालन करना होगा।

- हिम्मत गेलड़ा, सचिव,
आराधना भवन श्रीसंघ रतलाम

प्रतिबंध हटाने का स्वागत है। कोरोना काल में व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रतिबंध हटने से व्यापार सामान्य हो जाएगा, फिर भी व्यापारी सभी सुरक्षा इंतजाम का पालन करें व करवाएं।

-मनोज झाझानी,
अध्यक्ष थोक उपभोक्ता व्यापारी संघ

नाइट कर्फ्यू हटने से होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य सभी प्रतिष्ठानों में व्यापार बढ़ेगा। प्रतिबंध हटने के बाद व्यापारी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में यह कदम जरूरी था।

- मनोज मेहत
रेस्टोरेंट संचालक

कोरोना को लेकर शासन-प्रशासन द्वारा जारी गाइड-लाइन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। प्रतिबंध हटने के बाद अ धीरे-धीरे कामकाज पटरी पर लौट रहा है। सराफा बाजार में जिले सहित अन्य स्थानों से भी लोग आभूषण खरीदी के लिए पहुंच रहे है। शीघ्र ही स्थिति पूरी तर सामान्य होने की उम्मीद है।

- सौरभ छाजे
सराफा व्यवसा

नई.

नईदुनिया 18/11/21

7 घंटे में 1087 को लौटाया बैरंग

निगम में काम से आए, नहीं दिखा पाए टीका लगाने का सर्टिफिकेट

पत्रिका
महामारी से महामुकाबला

रतलाम. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए टीका की जरूरी दो डोज लगी है या नहीं, इसकी जांच के बीच नगर निगम ने बुधवार को प्रवेश के दोनों दरवाजों पर जांच के लिए कर्मचारी खड़े कर दिए। जिन लोगों या कर्मचारियों के मोबाइल में टीका लगवाने का प्रमाणपत्र नहीं था, उनको वापस लोटा दिया। सुबह 10.30 बजे दोनों गेट पर दो - दो कर्मचारी खड़े किए गए। पूरे दिन कुल 7 घंटे में 1087 लोगों को लौटाया गया।

सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक निगम के दोनों गेट पर कर्मचारी खड़े रहे। इन कर्मचारियों को सुबह ही बता दिया गया था कि कोई भी हो, बगैर जांच के अंदर नहीं आने दिया जाए। यहां तक की उपायुक्त विकास सोलंकी जब वाहन से आए तो उनके वाहन को भी रोककर टीका सर्टिफिकेट की जांच की गई। इनके अलावा सामान्य लोग से लेकर विभिन्न पार्टी के आए हुए संगठन पदाधिकारियों को भी रोका गया।

कुछ लोगों ने कहा एक लगाया है...

हालांकि कुछ लोग इस प्रकार के भी आए जो दो में से एक टीका लगवाए हुए थे। इसके बाद उन लोगों ने रोकने वालों से कहा भी कि एक टीका लगवाया है व दूसरा टीका समय पर लगवा लेंगे, इसके बाद उनको मास्क लगाने की हिदायत दी गई। इसके बाद अंदर प्रवेश दिया गया।

फैक्ट फाइल

कुल काम किया - 7 घंटे
गंदगी की शिकायत - 244
अतिक्रमण की शिकायत - 182
राशनकार्ड नाम परिवर्तन - 155
पेयजल गंदा आ रहा - 90
नामांतरण - 218
अन्य प्रकार की - 198
कुल - 1087

कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है। इसलिए इस प्रकार का अभियान चलाया गया है। इससे जिनके टीका नहीं थे, उनको प्रेरणा मिलेगी। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

कलेक्टर ने बंद कराई सराफा और मिठाई नमकीन की दुकान, निरीक्षण में बिना टीके के मिले कर्मचारी

रतलाम. कोविड-19 वैक्सीनेशन के महा अभियान के तहत बुधवार को रतलाम जिले के 298 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। शहर में लोगों के द्वारा वैक्सीन लगवाया गया या नहीं इसकी जांच के लिए कलेक्टर स्वयं जांच के लिए निकले। इस दौरान सराफा दुकान और मिठाई नमकीन की दुकान के कर्मचारी बिना वैक्सीनेशन के मिले जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और उनकी दुकान एक दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए थे कि बुधवार को यदि कोई भी दुकानदार या उसके कर्मचारी बिना वैक्सीन के पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई के साथ एक दिन के लिए दुकान बंद की जाएगी। इन निर्देशों के बाद कलेक्टर स्वयं वैक्सीनेशन की स्थिति जानने के लिए भ्रमण करते दिखे। उनके द्वारा बाजार में गाड़ी रोक कर आमजन के साथ ही व्यापारी व उनके यहां काम करने वाले श्रमिकों से टीकाकरण की पूछताछ की।

लोगों के द्वारा टीका लगवाया गया या नहीं, इसकी सत्यता का पता करने के लिए कलेक्टर द्वारा लोगों के मोबाइल में वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट भी देखे गए। इस दौरान चांदनी चौक में पेटलावद वाला ज्वेलर्स तथा चौमुखी पुल पर कन्हैया स्वीट्स के दुकानदार के पास दोनों डोज के मैसेज नहीं पाए गए तो कलेक्टर द्वारा उनकी दुकान बंद करने के साथ ही जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, निगमायुक्त, सोमनाथ झारिया भी साथ थे।

पत्रिका 18/11/21

कोरोना टीकाकरण शत-प्रतिशत करने के लक्ष्य में जी-जान से जुटा प्रशासन

रतलाम। जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं रख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों की उदासीनता लगातार बनी हुई है। इस चुनौती से निपटने और कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने में इन दिनों प्रशासन जी-जान से जुटा है। टीकाकरण का पहला चरण तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरा चरण को पूरा करने में कई पापड़ बेलने पड़ रहे है।

प्रशासन ने हाल ही में शहर के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों को इस अभियान में जोड़ा है। खाने-पीने की दुकानों के व्यापारियों से दोनों चरण के टीकाकरण करा चुके ग्राहकों को ही सामान देने की अपील की गई है। सेंव-नमकीन व्यापारियों ने प्रशासन की अपील पर टीके के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को सेंव-नमकीन नहीं बेचने निर्णय लिया है, तबसे टीकाकरण में तेजी आ गई है। प्रशासन के इन प्रयासों से रतलाम शहर 80 प्रतिशत टीकाकरण के करीब पहुंच चुका है। शेष बचे 20-25 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शादी-ब्याह के मौसम में विवाह स्थल भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। इन स्थानों पर भोजन की स्टालों के साथ वैक्सीन का स्टॉल भी लगवाया जा रहा है। खुद दूल्हा-दुल्हन अपने टीकाकरण के साथ शादी में आने वाले लोगों को टीके लगवा रहे है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शादी की पत्रिका छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों को भी पत्रिका पर टीकाकरण की अपील छापने के निर्देश दिए है, जिससे शादी-ब्याह में बुलावे से लेकर खाने-पीने तक टीके ही टीके प्रचार हो रहा है।

टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए बाजार क्षेत्रों में भी प्रयास हो रहे है। प्रशासन के दल कहीं भी जाकर आते-जाते लोगों से मोबाइल नंबर पूछकर उसके टीकाकरण की जानकारी ले रहे है और दूसरा टीका लगा रहे है। पेट्रोल पंप पर भी टीके लगाने का काम किया जा रहा है। इससे जाहिर है कि टीकाकरण को लेकर प्रशासन काफी सक्रिय है। आम लोग इसमें सक्रियता से भागीदारी करे, तो जल्द ही रतलाम शत-प्रतिशत टीकाकरण वाला शहर बन जाएगा। टीके की महत्ता इसलिए भी है, इसके लगाने के बाद किसी को यदि कोरोना हो भी जाए, तो उसकी मृत्यु होने की संभावना नहीं रहेगी।

3पेज 18/11/21

प्रमुख चौराहों पर सीसी रोड बनने के बाद भी नहीं सुधरा यातायात

स्वचालित सिग्नल व्यवस्था ठप्प

रतलाम। शहर की यातायात व्यवस्था का भगवान ही मालिक है। पहले सड़कें खराब थी, तो यातायात बिगड़ा हुआ था और अब सड़कें चमचमाने लगी है, तो भी यातायात बिगड़ा हुआ ही है। सड़कें सुधरने से हादसे अधिक होने लगे है, इसलिए यदि पुलिस और प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सड़कों के साथ यातायात सुधार की योजना भी बनाकर काम करें, तो ही राहत मिल सकती है। अन्यथा प्रमुख चौराहों पर लाखों रूपए के लगाए यातायात संसाधन (सिग्नलस्) भी बर्बाद हो जाएंगे और हादसों में जान-माल की हानि अलग होती रहेगी।

दो बत्ती चौराहा शहर का प्रमुख चौराहा है। पांच रास्तों वाले इस चौराहे से जुड़ा हर मार्ग सीसी रोड में तब्दील हो गया है। इनमें से चार मार्ग फोरलेन के रूप में विकसित किए गए है। पावर हाउस रोड, डाट की पुल, न्यूरोड और काला घोड़ा चौराहा से आने वाले इन फोरलेन मार्गों का यातायात इस चौराहें पर खिचड़ी बन जाता है। फ्रीगंज की सड़क फोरलेन नहीं बनी है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही इसी मार्ग से अधिक होती है, इसलिए इससे आने वाला यातायात भी कम नहीं होता। पुलिस, नगर निगम और प्रशासन ने कहने को इस चौराहे पर स्वचालित यातायात सिग्नल लगवा रखा हैं, लेकिन पिछले दो-तीन सालों से उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। सिग्नल की एक पीली बत्ती अभी बंद-चालू होती रहती है, जिससे लगता है कि ये सिग्नल चालू है, यदि यहां लगे सिग्नल का तुरन्त रखरखाव हो, तो यातायात नियंत्रित करने में काफी मददगार होगाऔर नागरिकों की यातायात नियमों के पालन की आदत बनेगी।

विडंबना है कि पुलिस, नगर निगम और प्रशासन सब इसकी उपेक्षा कर रहे हैं और प्रमुख चौराहे का यातायात भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नियंत्रण व्यवस्था नहीं होने से इस चौराहे पर कई बार जाम की स्थितियां बनती रहती है। पिछले दिनों में कुछ हादसे ही हुए है, जिनसे सबक लेकर यातायात को सुधारा जाना आवश्यक है। आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा सप्ताह आने वाला है। हर साल की तरह इस सप्ताह में फिर बड़ी-बड़ी बातें की जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहेगी।

सड़कों के विकास में शामिल हो यातायात सुधार

शहर में दो बत्ती चौराहा ही यातायात की दुरास्थितियों का शिकार नहीं है। इसके अलावा पिछले साल में शहर के सैलाना बस स्टैंड चौराहा, काला घोड़ा चौराहा, लोकेंद्र टाकीज चौराहा, महूरोड फव्वारा चौक, बाजना बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से जुड़े मार्गों पर भी सीसी रोड विकसित हुई है। इन सभी मार्गों पर सड़क अच्छी बनने से यातायात तेज हुआ है, लेकिन उसे व्यवस्थित बनाने के लिए रोड डिवाइडर के अलावा कोई प्रबंध नहीं दिखता। इन मार्गों पर यातायात सिग्नल, के साथ संकेतक, स्पीड ब्रेकर और सबसे जरूरी पुलिस की तैनाती रोज होना चाहिए। इसके लिए सड़क विकास की योजना बनाते समय ही उसमें यातायात सुधार की व्यवस्थाएं भी रखी जानी चाहिए। विडंबना है कि दिखावे के लिए रतलाम

..शेष पृष्ठ 2 पर

पृष्ठ 1 का शेष **प्रमुख चौराहों** में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन शहर पर लगे बिगड़े यातायात के धब्बे को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। जबकि बढ़ते वाहनों की संख्या के चलते इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाना चाहिए।

सिग्नल वाले चौराहें पर कैमरे भी लगाए जाएं

इन चौराहों पर सिग्नल व्यवस्था के साथ कैमरे भी लगाएं जाएं ताकि चौराहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के फोटो यातायात पुलिस के पास उपलब्ध हो जाए और उसके आधार पर वाहन चालकों पर यातायात नियमों के उल्लंघन की चालानी कार्यवाही की जा सके।

कोरोना से जुड़ा हर प्रतिबंध हटा

प्रदेश सरकार का बड़ा कदम ● आठ महीने बाद रात का कर्फ्यू खत्म

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होने के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है। अब स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। लगभग आठ माह बाद अब प्रदेश में रात का कर्फ्यू भी नहीं होगा। विवाह, अंतिम संस्कार और चल समारोह के लिए व्यक्तियों की अधिकतम उपस्थिति की सीमा का भी कोई बंधन नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बुधवार से ही प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में तय किया गया कि सिनेमा हाल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योग केंद्र और रेस्टोरेंट, क्लब अब पूरी क्षमता के साथ खोले जाएं। सभी मेलों में दुकान तभी खोली जा सकेगी जब दुकानदार ने कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो। वहीं, छात्रावासों में 18 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थी तथा सभी कर्मचारियों को दोनों डोज लगवानी अनिवार्य है। सिनेमाघरों में स्टाफ को दोनों और दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने का काम संचालक का होगा।

शासकीय कर्मचारियों को दोनों डोज लगवानी अनिवार्य : बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी शासकीय सेवकों का दोनों डोज लगवानी अनिवार्य है। उन्होंने कोविड अनुकूल व्यवहार यानी मास्क लगाना, शारीरिक दूरी के पालन सहित बचाव के अन्य साधन अपनाने की अपील भी की।

भिंड, खरगोन और सीधी के प्रभारी अधिकारियों से बात : बैठक में मुख्यमंत्री ने भिंड, खरगोन और सीधी जिले के अधिकारियों से कम टीकाकरण को लेकर बात की। इन जिलों में पहला टीका 85 प्रतिशत से कम पात्र व्यक्तियों को लगा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन न्यूनतम 70 से 75 हजार सैंपल लिए जाएं। प्रतिबंध समाप्त करने के निर्णय पर लापरवाही को स्वभाव का हिस्सा न बनाया जाए। राशन की दुकान से सामग्री लेने के लिए दोनों डोज अनिवार्य है।

वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की बनेगी सूची: गृह विभाग ने देर शाम कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव से जुड़े प्रतिबंधों को निरस्त करके हुए कलेक्टरों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रमुखों को ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची बनानी होगी, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई हैं। प्राचार्य और संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विद्यार्थी और कर्मचारियों को दोनों डोज लगी हों। यदि कोई शेष रह जाता है तो उसे टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए।

राहत

अब विवाह, अंतिम संस्कार और चल समारोह में अधिकतम संख्या में शामिल हो सकेंगे लोग

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता से होंगे

सावधानी जरूर बरतें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है। बुधवार को केवल पांच नए केस मिले हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 78 हो गई है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम सभी तरह की गतिविधियां प्रारंभ कर रहे हैं पर कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए सावधान रहना है। जब भी जांच के लिए टीम आए तो सैंपल जरूर दें ताकि यदि संक्रमण फैल रहा हो तो तत्काल पता लगाया जा सके। टीकाकरण अवश्य कराएं। टीके की पहली डोज तो 91 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को लग गई है लेकिन दूसरी डोज 47 प्रतिशत व्यक्तियों को ही लगी है। यह कोरोना से सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

प्रदेश में अभी 82 लाख की दूसरी डोज बाकी

भोपाल। कोरोना से सुरक्षा देने वाला टीका लगाने में मप्र ने फिर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बुधवार को प्रदेश में रात साढ़े सात बजे की स्थिति में 15 लाख 85 हजार लोगों ने टीका लगवाया था। इनमें 90 प्रतिशत से ज्यादा दूसरी डोज लगवाने वाले हैं। हालांकि, इसके बाद भी प्रदेश में 82 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। अब महाअभियान के साथ ही सामान्य दिनों में ऐसे लोगों को दस्तक

15 लाख से ज्यादा ने बुधवार को लगवाई है वैक्सीन

अभियान के तहत घर-घर जाकर टीका लगाया जा रहा है। बुधवार को 11,887 केंद्रों पर टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्री डा. प्रभुराम चौधरी ने बताया कि लक्ष्य के मुकाबले पहली डोज लगाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। अभी तक 91.80 प्रतिशत लोगों को पहली डोज लग चुकी है।

खंडवा में टीका नहीं लगवाने वालों की पेंशन होगी बंद

खंडवा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना से बचाव का टीका नहीं लगवाने वालों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। पहले ऐसे लोगों को कंट्रोल दुकान से राशन देना बंद किया गया, वहीं अब शासन द्वारा मिलने वाली पेंशन पर भी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। हिदायत दी जा रही है कि यदि दोनों डोज नहीं लगवाई तो शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। जिले में करीब दो लाख 40 हजार लोग ऐसे हैं, जिन्होंने दूसरा टीका नहीं लगवाया है। एसडीएम अरविंद चौहान के निर्देश पर नगर निगम ने ऐसे लोगों की पेंशन बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिन्होंने दूसरा टीका नहीं लगवाया है। निगम उपायुक्त प्रदीप जैन ने बताया कि टीकाकरण नहीं कराने वाले शासकीय योजनाओं से वंचित हो जाएंगे।

रतलाम और देवास में भी सख्ती : रतलाम नगर निगम में प्रवेश के लिए दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। किसी भी कार्य के लिए आने पर सर्टिफिकेट बताना होगा। इधर, देवास नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान ने बताया गुरुवार से शासकीय कार्यालयों में जिन अधिकारियों, कर्मचारियों ने दूसरा टीका लगवा लिया है, उन्हें प्रवेश मिलेगा। नगर निगम में भी अधिकारी-कर्मचारियों पर नियम लागू कर दिया गया है।

कहां क्या है स्थिति

रात्रिकालीन कर्फ्यू : मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में रात 11 से सुबह छह बजे तक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना में लागू नहीं। गुजरात में सिर्फ आठ नगर निगम क्षेत्रों तक सीमित।

सिनेमाघर/थियेटर : मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ संचालन। गुजरात, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कोई बंधन नहीं।

नईदुनिया 18/11/21

प्रशासन का बड़ा फैसला

अवैध काम करते पकड़ाए तो जमीन-जायदाद की जांच होगी, अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे

- अब जमीन के साथ शराब, ड्रग, राशन माफिया पर सरकारी शिकंजा
- कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जांच के लिए बनाई समिति

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जमीनों के साथ सरकारी अमले ने शराब, ड्रग और राशन माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पकड़े जाने पर सिर्फ पुलिस ही कार्रवाई नहीं करेगी। माफिया की जमीन-जायदाद व अन्य संपत्तियों की जांच होगी। इसमें कोई कब्जा की या बिना अनुमति अवैध रूप से बनाई मिली तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें कब्जाई जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। वहीं, अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा।

इसके कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक समिति बना दी है। पुलिस की कार्रवाई के घेरे में आने वाले माफिया के कारोबार, चल-अंचल संपत्ति की जांच करेंगी। अभी तक होता यह था कि पुलिस द्वारा माफिया पर प्रकरण दर्ज किए जाते थे लेकिन उसके द्वारा किए अन्य अवैध कार्य पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। ऐसा नहीं होगा। माफिया की जन्मकुंडली तलाश कर कार्रवाई होगी।

हर 15 दिन में होगी बैठक

कलेक्टर द्वारा गठित समिति की हर 15 दिन में बैठक होगी। इसमें जांच के बाद समिति कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत करेगी। कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी कार्रवाई के लिए आदेश देंगे। अपर कलेक्टर हर 15 दिन में प्रकरणों की समीक्षा कलेक्टर को रिपोर्ट देंगे।

इन अफसरों की समिति करेगी जांच

अपर कलेक्टर, एसडीएम रतलाम शहर, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी तथा उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन।

इन पर रहेगी समिति की नजर

सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने वाले, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले, जघन्य अपराध में शामिल क्रिमीनल, शराब माफिया, ड्रग माफिया, चिटफंड माफिया, राशन माफिया, शराब माफिया, कमजोर वर्ग पर अत्याचार करने वाले, अनुमति के विरुद्ध निर्माण करने वाले आदि।

दै. भास्कर 18/11/21

स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़ों में भले ही बाजी मारे, लेकिन मैदान में फिसड्डी रहेगा नगर निगम

रतलाम। आने वाले दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के नतीजे आने वाले है। इनमें रतलाम नगर निगम कागजी तैयारी के बल पर भले ही अपनी रैंकिंग सुधार कर बाजी मार ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही रहेगी। मैदानी स्तर के नतीजे निगम की वास्तविकता उजागर कर रहे हैं। निगम का अमला विधायक चेतन्य काश्यप की रुचि के चलते 6000 अंक के स्वच्छता सर्वेक्षण में 4500 से अधिक अंक लाने का दावा कर रहा है, जिसकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आ जाएगी। हालांकि निगम ने अभी से स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी भी शुरू कर दी है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे नवंबर के तीसरे सप्ताह में 20 नवंबर के आसपास घोषित होंगे। नतीजों को लेकर निगम का अमला जो दावे कर रहा है, उनके मुताबिक रतलाम को अव्वल 40 शहरों में स्थान मिल सकता है। गौरतलब है कि 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में रतलाम को 49 वां स्थान मिला था। निगम का अमला इसके आधार पर अव्वल 40 शहरों में आने के दावे भी कर रहा है, तो उसमें अधिक खुशी की बात नहीं है। शहर विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम को 6-8 महीनें पहले बैठक लेकर सर्वे में अव्वल आने की तैयारियां करने के विषयवार नुस्खे दिए थे। उन्होंने इन नुस्खों को अमल में लाने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी पूरी करने हेतु अपने विधायक निधि से राशि देने की पहल भी की थी। लेकिन विडंबना है कि निगम अमला दिखावा ज्यादा करने और काम कम करने में लगा रहा। निगम के अफसर मैदानी काम करने के बजाए कार्यालय में बैठकर कर्मचारियों को चेतावनियां देने और उनके खिलाफ वेतन रोकन, निलंबित करने तथा बर्खास्त करने जैसी कार्यवाहियों में लगे रहे। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरा और निगम जैसे आंकड़े दिखाता रहा, वैसी सफाई नहीं हुई। निगम के अमले ने इस सर्वेक्षण के पहले शहर में वातावरण भी निर्मित नहीं किया, जिससे स्वच्छता में अव्वल आने के लिए शहर के लोग निगम से नहीं जुड़े और जैसा काम निगम ने कागजों पर किया, वैसा ही सर्वेक्षण के लिए आई टीम ने भी गुपचुप कर गई।

वर्ष 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे कुछ भी रहे, लेकिन नगर निगम ने आगामी वर्ष 2022 के सर्वे की तैयारी अभी से शुरू करने के दावे शुरू कर दिए है। इसके लिए कागजी तैयारी ही की जा रही है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में 6000 अंकों की तुलना में अगला सर्वेक्षण 7500 अंक का होगा। इस वर्ष के सर्वेक्षण के नतीजों के बाद ही अगले वर्ष के सर्वेक्षण की तैयारियों की हकीकत सामने आएगी।

सालभर परेशानियां आई निगम के सामने

सर्वेक्षण के नतीजे कुछ भी रहे, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है के पूरे साल नगर निगम का अमला परेशानियों से जूझा है। पहले कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण अप्रैल, मई में लॉकडाउन लगा जिससे उसकी तैयारी ठीक से नहीं हुई। बाद में महामारी नियंत्रण के लिए निगम के अन्य अमलों के साथ सफाई अमले को भी घर-घर दवाई बांटने, कंटेनमेंट जोन बनाने और ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगना पड़ा, जिससे निगम सफाई पर ध्यान नहीं दे सका। महामारी नियंत्रित हुई, तो सरकार के निर्देश पर कोरोना टीकाकरण का काम शुरू हो गया। इसमें भी स्वास्थ्य और प्रशासनिक अमले के साथ निगम के कुछ अमले को लगाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि निगम आयुक्त और कुछ इंजीनियरों को छोड़कर अन्य किसी ने स्वच्छता को लेकर मैदानी सक्रियता नहीं दिखाई। इससे नगर निगम दावे कुछ भी करे, लेकिन दावों की सच्चाई क्या है वह अच्छी तरह जानता है।

उपग्रह 18/11/21

उजाला

अमृत सागर तालाब की सुध लेने की सुगबुगाहट शुरू

रतलाम। गंदे पानी और जलकुंभी से पूरी तरह ढंक कर मृत सागर बन चुके ऐतिहासिक अमृत सागर तालाब की सुध लेने की शुरुआत हो गई है। इससे इस तालाब की दशा जल्द सुधरने की उम्मीदें जागी है। झील संरक्षण योजना में तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रस्ताव किए गए है, उन्हें अमलीजामा पहनाया जाने वाला है।

इस सप्ताह आर्किटेक्ट्स की टीम ने अमृत सागर तालाब, नाले और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर लिया जल्द ही उनके द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयारी की जाएगी। इसके बाद 0.18 वर्ग किलोमीटर में फैले तालाब को सौंदर्यीकरण के साथ पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने का कार्य शुरू हो जाएगा। योजना के मुताबिक इस तालाब में तीन नालों का गंदा पानी मिलता है। इनमें से बोहरा बाखल और लक्कड़पीठा वाले नाले के पानी को साफ कर तालाब तक पहुंचाने की योजना है, जबकि त्रिपोलिया गेट वाले नाले का मार्ग बदलकर त्रिवेणी मुक्तिधाम वाले नाले में मिलाया जाएगा।

इसके अलावा तालाब की पाल को चौड़ीकर घूमने-फिरने का स्थान बनाया जाएगा। तालाब के पास ही पार्किंग आदि की सुविधा जुटाना भी प्रस्तावित है। प्रशासन ने इस योजना को वर्ष 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों को जलकुंभी, गंदे पानी और उसकी बदबू से छुटकारा मिल जाएगा।

गौरतलब है कि अमृत सागर की दशा सुधारने की कवायद वर्ष 2019 में दोबारा शुरू की गई है। इससे पहले वर्ष 2007 में भी तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना बनी थी, लेकिन अधिकारियों के तबादले के कारण वह ठंडी पड़ गई थी। विधायक चेतन्य काश्यप ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से दो साल पहले चर्चा कर योजना को मंजूरी दिलवाई है। इसके बाद नगर निगम और पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयक संगठन के बीच एमओयू साइन हो चुका है। विधायक श्री काश्यप के अनुसार योजना हेतु सरकार से 4 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इससे जलकुंभी और गाद साफ करने की अत्याधुनिक मशीनें खरीदकर जल्द ही कार्य आरंभ किया जाएगा।

उजाला 18/11/21

कलेक्टर ने किया शहर के व्यस्त बाजारों में वैक्सीनेशन का निरीक्षण

मोबाईल पर दोनों डोज के मैसेज चेक किए डोज नहीं लगवाने पर दुकानें की गई बंद

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम

वैक्सीनेशन महा अभियान 17 नवंबर के अवसर पर कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा रतलाम शहर के व्यस्त बाजारों में भ्रमण कर वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया गया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी भी थे। कलेक्टर ने चांदनी चौक, माणकचौक, डालू मोदी बाजार, दो बत्ती, स्टेशन रोड इत्यादि क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वैक्सीनेशन देखा। राह चलते लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में पूछताछ की, दुकानदारों से वैक्सीनेशन कराने की जानकारी ली। जिन दुकानदारों द्वारा वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लगवाए गए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकानें बंद करा दी गई, जुर्माना भी लगाया गया और तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर भिजवाया गया।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दुकानों के सामने वाहन रोककर दुकानदारों के मोबाईल पर दोनों डोज के मैसेज चेक किए। इस दौरान चांदनी चौक में पेटलावदवाला ज्वेलर्स तथा चौमुखीपुल पर कन्हैया स्वीट्स दुकानदार के मोबाइल पर दोनों डोज के मैसेज नहीं पाए गए तो कलेक्टर द्वारा उनकी दुकानें बंद करने तथा जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। दोनों दुकानदारों को तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए निर्देशित किया।

डालू मोदी बाजार में दुकान रिवाज के हेमंत मुठिया तथा स्टेशन रोड पर खंडेलवाल नमकीन के अंकुश खंडेलवाल के मोबाईल चेक करने पर दोनों डोज के मैसेज पाए गए। कलेक्टर ने उनको शाबाशी दी। इस दौरान निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया भी उपस्थित थे। बाजारों में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तैनात किए गए राजस्व नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से भी वैक्सीनेशन की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

रतलाम जिले में कोविड-वैक्सीनेशन महा अभियान का लक्ष्य अर्जित किया गया

रतलाम। रतलाम जिला 17 नवंबर कोविड-महा अभियान का लक्ष्य अर्जित कर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में शामिल हो गया जहां शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य अर्जित किया गया। रतलाम जिले को राज्य शासन द्वारा 45 हजार टीके लगाने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, उस लक्ष्य को कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में सभी नोडल अधिकारियों, टीकाकरण दलों की मेहनत द्वारा प्राप्त किया गया।

अभियान दिवस पर जिले में 298 टीकाकरण सेंटर बनाए गए थे। रतलाम शहर में 39 सेंटर बनाए गए। इसके अलावा 10 ऑटो रिक्शा वाहनों द्वारा चलित रूप से शहर में भ्रमण करके टीके लगाए गए। कलेक्टर द्वारा अपील की गई है कि नागरिक गण 18 नवंबर को भी उन्हीं स्थानों पर पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अवन्तिका

अवन्तिका 18/11/21

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 65 आवेदन आए, सम्बंधित अधिकारियो को निराकरण के निर्देश जारी

सिंधम रिपोर्टर ☐ रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। जनसुनवाई में 65 आवेदन आए जिन पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य तथा सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे ने जनसुनवाई की। आवेदकों की समस्या सुनी, निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ग्राम चौराना निवासी कु. रेणुका पंवार तथा शिवानी पंवार ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया ग्राम चौराना में निवासरत होकर शासकीय नवीन कन्या उ.मा.वि. में अध्ययन करती हैं तथा ग्राम चौराना से विद्यालय में आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। इसलिए दोनों प्रार्थिया शासकीय कन्या छात्रावास आनन्द कालोनी में भर्ती होकर अपना अध्ययन करना चाहती हैं। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षिका को दोनों बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश देने के निर्देश दिए।

कालीदास बैरागी निवासी गांव पंचेड ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी करीब 30 वर्षों से सर्वे क्रमांक 681 भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है तथा तहसील नामली में नामान्तरण हेतु आवेदन करने जाता है तो कहा जाता है कि जिलाधीश महोदय द्वारा दो बीसवा या उससे कम भूमि पर नामान्तरण पर रोक लगा रखी है। अतः प्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि का नामान्तरण करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम ग्रामीण को प्रेषित किया गया है। राम रहीम नगर निवासी अतुल राव ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी 90 प्रतिशत दिव्यांग है और उसे सुनाई भी कम देता है। प्रार्थी ने कक्षा 5 वीं तक शिक्षा ग्रहण की है तथा घर की आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। प्रार्थी के पिता के पैर में एक्सीडेंट के कारण राड डली है जिससे वह मजदूरी करने में असमर्थ है। प्रार्थी के माता जैसे-तैसे मजदूरी कर परिजनों की परवरिश कर रही है। अतः प्रार्थी को कहीं पर भी नौकरी दे दी जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। प्रार्थी के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रुप में कार्य पर रखने हेतु निगम आयुक्त को निर्देश जारी किए गए।

पठान टोली जावरा निवासी आकिल शाह ने बताया कि प्रार्थी को मुगलपुरा कब्रिस्तान, तकिया पठान टोली कब्रिस्तान तथा हुसैन टेकरी शरीफ रोड कब्रिस्तान एवं ख्वाजा अबू सईद कब्रिस्तान मुतवल्ली व्यवस्था हेतु 6 सितम्बर 2014 को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी का नाम देवस्थान डायरेक्ट्री में दर्ज नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थी शासन द्वारा दिया जाने वाला मा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्र निराकरण हेतु एसडीएम जावरा भेजा गया है। ग्राम धामनोद नि रेवाशंकर राव ने बताया कि प्रार्थ भूमि रतलाम मार्ग पर निर्मित वाली पुलिया से 300 फीट है तथा उसके खेत पर आने-जा लिए रास्ता नहीं होने से काफी का सामना करना पड रहा एक्सप्रेस वे के निर्माण के अ चेनेज नं. 107, 300 पर भूमि पर भी रास्ता नहीं होने से उपकरणों को अन्य किसानों के से होकर ले जाना पडता है कई बार विवादित स्थितिया हो जाती हैं। अतः खेत तक जाने के लिए रास्ता निकाला प्रार्थी की समस्या का निराकरण के लिए प्रकरण एसडीएम ग्रामी भेजा गया है। सिंधम

सिंधम - 17/11/21

मुख्यमंत्री ने दिए कोरोना संबंधी प्रतिबंध हटाने के निर्देश

प्रदेश में अब पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे सभी प्रकार के आयोजन

सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब, स्कूल - कालेज, कोचिंग आदि 100 फीसदी क्षमता पर खुल सकेंगे

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कोविड से जुड़े प्रतिबंध समाप्त करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने बुधवार को यहां कोरोना की स्थिति की समीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्देश दिए। अब समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे। समस्त चल समरोह निकल सकेंगे।

बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं के साथ टीकाकरण महाअभियान की समीक्षा की।

विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे। नाईट कर्फ्यू नहीं लगेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100 फीसदी क्षमता पर खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज, पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे। इसी प्रकार मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों। हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं तथा समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है। सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज तथा दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी हो। कोविड 19 उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी करें। प्रदेश शासन ने लोगों से अपील है कि जब भी शासकीय टीम कोविड टेस्ट के लिए आएं तो टेस्ट करवाएं। समस्त शासकीय सेवकों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश में कोरोना संबंधी प्रतिबंध पहला लॉकडाउन मार्च 2020 के तीसरे सप्ताह में लगाने के साथ ही लागू किए गए थे। हालांकि दूसरी लहर की भयावहता कम होने के बाद प्रतिबंधों में क्रमिक तौर पर राहत प्रदान की गयी है।

■ मप्र में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14.87 लाख के पार पहुंचा

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

- अब सामान्य रूप से विवाह समारोह हो सकेंगे, लेकिन परस्पर दूरी और मास्क के उपयोग का ध्यान रखा जाए।
- मेलों में दुकान वही दुकानदार लगा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं।
- सिनेमा देखने जाने, राशन की दुकान से सामग्री लेने के लिए दोनों डोज अनिवार्य हैं, यह सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कोविड अनुकूल व्यवहार आवश्यक है।
- मास्क और यथासंभव परस्पर दूरी रखना है और असावधान नहीं होना है।
- शिक्षण संस्थाओं और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी दोनों डोज आवश्यक हैं।
- शासकीय सेवकों को वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य हैं। विभाग इसे सुनिश्चित करें।
- जिन जिलों में वैक्सीन के दूसरे डोज में कमी देखी गई है, वहाँ गति बढ़ाई जाए।

राज एक्सप्रेस 18/11/21

वैक्सीनेशन : दोनों डोज नहीं लगवाए थे, पेटलावद वाला ज्वेलर और कन्हैया स्वीट्स बंद कराकर वसूला जुर्माना

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दुकानदारों के मोबाइल पर चेक किए मैसेज

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना को पूरी तरह रोकने के लिए बुधवार को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम खुद अधिकारियों के साथ चेकिंग पर निकले। चांदनीचौक में पेटलावदवाला ज्वेलर के यहां भीड़ देखकर दुकानदार को बुलवाया। पूछा दोनों डोज लगवाने के मैसेज बताने को कहा, जो नहीं मिले। कलेक्टर ने तुरंत दुकान बंद करवा दी। थोड़ा ही आगे जाने पर कन्हैया स्वीट्स के संचालक को बुलवाकर मैसेज चैक किया तो दुकानदार नहीं बता पाया। इस पर कलेक्टर ने स्वीट्स की दुकान बंद करवा दी। साथ दोनों दुकानदारों को तुरंत वैक्सीन लगाने के लिए कहा। कलेक्टर के काफिले के आगे बढ़ते ही नगर निगम का स्पॉट फाइन दल मौके पर पहुंचा। दुकान बंद करवाने के साथ 1000 हजार का जुर्माना वसूला।

चांदनीचौक में पेटलावद वाला ज्वेलर संचालक को टीका नहीं लगाने पर फटकार लगाते कलेक्टर पुरुषोत्तम।

महाअभियान के तहत सरकारी अमला खुद वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। इसी क्रम में बुधवार को कलेक्टर ने चांदनीचौक, मामकचौक, डालूमोदी बाजार, दो बत्ती, स्टेशन रोड आदि इलाकों का निरीक्षण किया। कई लोगों से रोक रोककर टीका लगवाने की जानकारी ली, नहीं लगवाने वालो को तुरंत वैक्सीनेशन सेंटर भेजा।

60 हजार में से 45 हजार को टीके लगाए गए

महाअभियान के तहत सरकारी अमले ने बुधवार को 60 हजार टीके लगाने का लक्ष्य था। इसके विपरीत दिनभर में 45 हजार टीके लगाए। बता दें कि शहर में 100 प्रतिशत लोगों को पहला डोज लग चुका है, जबकि दूसरा टीका 76.08 प्रतिशत लोगों को लग पाया है। बुधवार के महाअभियान के बाद आंकड़ा बढ़कर 80 प्रतिशत पार पहुंच गया है। शहर ने प्रदेश के चुनिंदा जिलो में स्थान बना लिया है। अभियान के लिए जिले में शहर के 39 समेत 298 सेंटर बनाए थे। अलावा शहर में 10 ऑटो रिक्शा से वैक्सीन लगाई गई है।

दै. भास्कर 18/11/21

कचरा वाहन नहीं पहुंचने से अपूर्वा कालोनी के रहवासी हो रहे है परेशान

सिंधम रिपोर्टर ❐ रतलाम

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया जहां स्वच्छता अभियान पर पूरा जोर दे रहे है, किन्तु स्वास्थ्य विभाग के कतिपय अधिकारी कर्मचारी की मानिटरिंग के अभाव में इस महते अभियान पर पानी फिरता नजर आ रहा है, नगर में विभिन्न वार्डों एवं क्षेत्रों में कचरा वाहनों की व्यवस्था बनाई गई है, हर वार्ड के लिए अपना अलग वाहन है, किन्तु इन वाहनों को कभी खराब होना तो कभी मेंटेनेंस

का बहाना बनाकर क्षेत्र में नहीं भेजा जाता है।

नगर के सैलाना रोड़ स्थित वार्ड नं. 8 में अपूर्वा कालोनी, सज्जन विहार कालोनी व आसपास की कालोनियों में 7-8 दिन में एक बार कचरा वाहन पहुंच रहा है, और वह भी जागरुक लोगों द्वारा मेसेज करने और शिकायत करने पर कचरा वाहन पहुंचता है। कचरा वाहन पहुंचने का भी कोई निर्धारित समय नहीं रहता, अपूर्वा कालोनी के लोग तो अपने घरों में कचरा एकत्रित करते रहने से परेशान हो चुके है, निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सिंधम - 17/11/21

रेलवे ने अपनी सीमा से हटाया अतिक्रमण

सिंधम रिपोर्टर ❐ रतलाम

अरसे से रेलवे की सीमा में अतिक्रमण कर निवास कर रहे झुग्गी-झोपड़ी के रहवासियों को मंगलवार के दिन बेघर होना पड़ा। रेलवे की सीमा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आरपीएफ व औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने का बल मौजूद रहा। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की।

पटरी पार स्थित रेलवे की सीमा पर अतिक्रमण कर झोपड़ी बनाकर रहने वालों का रेलवे प्रशासन ने सर्वे कर स्थान को चिंन्हित कर लिया था। रेलवे प्रशासन की ओर से सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर मंगलवार से रतलाम रेल मंडल ने अपनी सीमा में आने वाले अतिक्रमण को हटाने का अभियान छेड़ दिया। शिवशंकर कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान लोगों को थोड़ा-बहुत विरोध भी देखने को मिला, लेकिन कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के चलते कुछ परिवारों ने झोपड़ी व कच्चे मकानों से अपना-अपना सामान स्वयं निकालकर बाहर रख लिया। रेलवे ने अपनी सीमा से अतिक्रमण तोड़ने से पहले झोपड़ियों की विधुत सप्लाई भी काटी।

सिंधम-17

सिंधम – 17/11/21

रेलवे ने मांगी सिटी पुलिस, जीआरपी से मदद

कब्जे पर कार्रवाई: शेष रहे 60 आवास को तोड़ने पर आज निर्णय

फॉलोअप

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

रतलाम. रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करके वर्षों से रह रहे लोगों के आवास तोड़कर बेदखल मंगलवार को किया गया था। शिवशंकर कॉलोनी में रहने वाले 130 आवास में से 70 आवास को तोड़ दिया गया था। अब शेष बचे हुए 60 आवास के लिए रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग ने सिटी पुलिस, जीआरपी व आरपीएफ से मदद मांगी है।

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया मंगलवार को शिवशंकर कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर बने हुए आवास को तोड़ने का अभियान चलाया था। इसमें पहले दिन 130 में से 70 आवास तोड़े गए थे। इसके बाद बाकी का अभियान बुधवार को चलना था, लेकिन अन्य पुलिस से सहयोग नहीं मिलने पर अतिक्रमण से रेलवे भूमि को मुक्त करने का अभियान नहीं चला। अब इसको गुरुवार या शुक्रवार को चलाया जाएगा।

करीब 100 से अधिक दुकानों को भी हटाने के लिए निर्णय को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। इन दुकानों के बारे में अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। असल में रेलवे ने जब आवास से अतिक्रमण हटाए तो इसका विरोध भी हुआ, इसके बाद रेलवे ने एक से दो दिन का समय शेष बचे हुए आवास के लिए दे दिया। अब पुलिस बल मिलने के बाद एक से दो दिन में इनको हटाया जाएगा।

शिवशंकर कॉलोनी में जो बचे हुए अतिक्रमण रेल भूमि पर है, उनको इसी सप्ताह हटाया जाएगा। इसके लिए सिटी पुलिस, जीआरपी व आरपीएफ से बल मांगा गया है।- **खेमराज मीणा**, रेलवे मंडल प्रवक्ता

पत्रिका 18/11/21

टीके नहीं लगाए तो जुर्माना

रतलाम, नप्र। पहला टीका लगाने के बाद दूसरे टीके की समय अवधि होने पर भी कई लोगों ने अब तक दूसरा टीका नहीं लगाया है। अब पूरा का पूरा ध्यान दूसरे टीके पर रखा जा रहा है। आज से गली-मोहल्ले में घर-घर और दुकान-दुकान जाकर टीके के बारे में पता किया जा रहा है। जहां भी टीका नहीं लगने की जानकारी मिल रही है वहां हाथों-हाथ टीका लगाया जा रहा है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम टीकाकरण टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश में है। वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे है और टीम को आगाह कर चुके हैं कि लापरवाही ना बरते। पिछली बार चलाए महाअभियान में पचास हजार का लक्ष्य था लेकिन टीके 35 हजार ही लग पाए थे। आज फिर महाअभियान है और कलेक्टर ने आज के लिए 60 हजार का लक्ष्य तय किया है। इस बार उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को साफतौर पर चेताया कि इस बार लक्ष्य पूरा होना चाहिए अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कड़े शब्दों में कहा कि काम में लापरवाही बरतने पर इंजीनियर हो या बाबू किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह हैं कि महाअभियान की सफलता के लिए कलेक्टर ने बैठक लेकर बीती शाम को जो रणनीति तय की उस पर सुबह से अमल किया जा रहा है। इस बार अभियान में 298 केन्द्र हैं। सभी जनपद पंचायतों में भी टीके का इंतजाम किया है। जहां पर भी किसी को टीका नहीं लगाए जाने का पता चल रहा है उन लोगों को हाथों-हाथ टीका केन्द्र पर ले जाकर टीका लगवाया जा रहा है। कई जगह तो टीका लगाने के लिए टीम खुद ही पहुंच रही है। जिस तरह पोलियों की दवा पिलाने के लिए बच्चों को देखकर पूछताछ की जाती है उसी तर्ज पर आज सुबह बसस्टेंड और चांदनीचौक और अलकापुरी चौराहे पर लोगों से टीके के बारे में जानकारी ली। सुबह 7.30 बजे से ही इन चौराहों और बसस्टेंड पर टीके लगाने वाली टीम पहुंच गई। प्रशासन ने तय कर दिया है कि दुकान, मैरिज गार्डन, मॉल और जनरल स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारी बिना टीके के ना हो। इसके लिए बकायदा दुकान-दुकान जाकर निरीक्षण किया जाएगा। एक भी कर्मचारीअगर बिना टीके के होना पाया तो जुर्माना तो होगा इसके अलावा संबंधित दुकान, मॉल को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। मांगलिक आयोजनों पर भी टीके का पता लगाने के लिए टीम पहुंचेगी। काम करने वाले कैटरर्स दल ने अगर बिना टीके के पाया गया तो उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा।

लापरवाही बरतने पर बख्शा नहीं जाएगा

एक दिन के लिए दुकान भी बंद

प्रभातकिरण 17/11/21

अधिकारियों ने दुकानदारों के वैक्सीनेशन मैसेज किए चैक

रतलाम। वैक्सीनेशन के दोनों डोज के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। बुधवार को भी वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी ने बुधवार को शहर के व्यस्त बाजारों का भ्रमण कर वैक्सीनेशन चेक किया।इस दौरान दुकानदारों से पूछताछ की।उनके मोबाइल पर दोनों डोज के मैसेज चेक किए। इस दौरान चांदनी चौक मे पेटलावद वाला ज्वेलर्स तथा चौमुखी पुल पर कन्हैया स्वीट्स वाले दुकानदार के पास दोनों डोज के मैसेज नहीं पाए गए तो कलेक्टर द्वारा उनकी दुकान एक दिन के लिए बंद करने तथा जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। डालू मोती बाजार में दुकान रिवाज के हेमंत मुठिया तथा स्टेशन रोड पर खंडेलवाल नमकीन के अंकुश खंडेलवाल के मोबाइल चेक करने पर दोनों डोज मैसेज पाए जाने पर कलेक्टर ने उनको शाबाशी दी।इस दौरान निगमायुक्त सोमनाथ झारिया भी साथ थे।

राज एक्सप्रेस 18/11/21

रास्ता नहीं होने से खेत पर आने-जाने में होती है परेशानी

रास्ता दिलाने के लिए कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में दिया आवेदन

रतलाम ● स्वदेश समाचार

प्रति सप्ताह होने वाली जनसुनवाई में ग्राम धामनोद निवासी रेवाशंकर राव ने बताया कि प्रार्थी की भूमि रतलाम मार्ग पर निर्मित होने वाली पुलिया से 300 फीट अन्दर है तथा उसके खेत पर आने-जाने के लिए रास्ता नहीं होने से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण के अन्तर्गत चेनेज नं. 107, 300 पर स्थित भूमि पर भी रास्ता नहीं होने से कृषि उपकरणों को अन्य किसानों के खेतों से होकर ले जाना पड़ता है जिससे कई बार विवादित स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। अत: खेत तक आने-जाने के लिए रास्ता निकाला जाए। प्रार्थी की समस्या का निराकरण करने के लिए प्रकरण एसडीएम ग्रामीण को भेजा गया है। जनसुनवाई में 65 आवेदन आए जिन पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जनसुनवाई की। आवेदकों की समस्या सुनी, निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। जिला स्तरीय जनसुनवाई में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बालिकाओं को मिला पसंद का छात्रावास

ग्राम चौराना निवासी कु. रेणुका पंवार तथा शिवानी पंवार ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया ग्राम चौराना में निवासरत होकर शासकीय नवीन कन्या उ.मा.वि. में अध्ययन करती हैं तथा ग्राम चौराना से विद्यालय में आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोनों प्रार्थिया शासकीय कन्या छात्रावास आनन्द कॉलोनी में भर्ती होकर अपना अध्ययन करना चाहती हैं। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए छात्रावास अधीक्षिका को दोनों बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश देने के निर्देश दिए।

नहीं हो रहा नामांतरण

कालीदास बैरागी निवासी गांव पंचेड ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी करीब 30 वर्षों से सर्वे क्रमांक 681 भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है तथा तहसील नामली में नामांतरण हेतु आवेदन करने जाता है तो कहा जाता है कि जिलाधीश महोदय द्वारा दो बीसवा या उससे कम भूमि पर नामांतरण पर रोक लगा रखी है। अत: प्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि का नामांतरण करने की कृपा करें। प्रकरण निराकरण के लिए एसडीएम ग्रामीण को प्रेषित किया गया है।

दिव्यांग ने मांगा रोजगार

राम-रहीम नगर निवासी अतुल राव ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी 90 प्रतिशत दिव्यांग है और उसे सुनाई भी कम देता है। प्रार्थी ने कक्षा 5 वीं तक शिक्षा ग्रहण की है तथा घर की आर्थिक स्थिति भी काफी दयनीय है। प्रार्थी के पिता के पैर में एक्सीडेंट के कारण राड डली है जिससे वह मजदूरी करने में असमर्थ है। प्रार्थी के माता जैसे-तैसे मजदूरी कर परिजनों की परवरिश कर रही है। अत: प्रार्थी को कहीं पर भी नौकरी दे दी जाए, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। प्रार्थी के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य पर रखने हेतु निगम आयुक्त को निर्देश जारी किए गए।

नियुक्ति का नाम डायरेक्ट्री में दर्ज नहीं

पठान टोली जावरा निवासी आकिल शाह ने बताया कि प्रार्थी को मुगलपुरा कब्रिस्तान, तकिया पठान टोली कब्रिस्तान तथा हुसैन टेकरी शरीफ रोड कब्रिस्तान एवं ख्वाजा अबू सईद कब्रिस्तान मुतवल्ली व्यवस्था हेतु 6 सितम्बर 2014 को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी का नाम देवस्थान डायरेक्ट्री में दर्ज नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थी को शासन द्वारा दिया जाने वाला मानदेय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम जावरा को भेजा गया है।

स्वदेश 18/11/21

केंद्र के पास जाएगा जन्म-मृत्यु का पूरा डेटा... 4 बड़े बदलाव लाएगा नया कानून

1. सरकार से संवाद
अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए सरकार खुद पात्र लोगों से संपर्क करेगी। मॉनिटरिंग होगी कब कौन पात्र बना।

2. एनपीआर निर्बाध
डेटा राज्यों के पास ही होने से पिछली बार 12 राज्यों ने एनपीआर का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। अब उन पर निर्भरता नहीं होगी।

3. साफ होगा डेटाबेस
अभी जन्म लेने वालों के नए आधार, लाइसेंस आदि बनते हैं, मगर मरने के बाद यह कार्ड बंद नहीं हो पाते। अब मरने वालों का डेटा हटेगा।

4. जनगणना नहीं होगी
2022 की जनगणना संभवतः आखिरी होगी। अब आंकड़ों के लिए 10 साल का इंतजार खत्म होगा। हर महीने सारा डेटा अपडेट होगा।

वन नेशन-वन डेटा

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन पर सुझाव लेने का काम पूरा

मुकेश कौशिक | नई दिल्ली

डिजिटाइजेशन के दौर में अब देश 'वन नेशन-वन डेटा' के लिए तैयार हो रहा है। केंद्र सरकार जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून 1969 में संशोधन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है। केंद्र ने संशोधित कानून का ड्राफ्ट जनता के सुझावों के लिए पब्लिक डोमेन में साझा किया था। 17 नवंबर को सुझाव देने की अंतिम तारीख थी। अब बिल कैबिनेट के पास जाएगा। संकेत हैं कि 2022 में जनगणना शुरू होने से पहले नया कानून अमल में आ जाएगा। संशोधन के बाद एक ही तारीख पर हर राज्य में यह कानून प्रभावी हो जाएगा।

नया कानून लागू होने के बाद न सिर्फ जन्म और मृत्यु का पूरा डेटा केंद्रीय स्तर पर जमा होने लगेगा, बल्कि इस डेटा के आधार पर एनपीआर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट समेत दूसरे डेटाबेस भी अपडेट हो जाएंगे। नए कानून के बाद पूरे देश में जन्म-मृत्यु पंजीयन का फॉर्मेट एक हो जाएगा। अभी हर राज्य में यह डेटा और जारी होने वाला प्रमाण-पत्र अलग होता है। साथ ही राज्य के स्तर पर ही इस डेटा को डिजिटल फॉर्म में लाने का काम भी शुरू किया जाएगा। सरकार इस डेटा के जरिये अपने बाकी डेटाबेस को अपडेट करेगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि केंद्रीय योजनाओं के पात्र लोगों की मॉनिटरिंग केंद्रीय स्तर पर हो पाएगी।

जन्म-मृत्यु के 7 दिन में सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा

नए कानून की वजह से क्या-क्या बदलेगा...वह सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

▪ जन्म-मृत्यु पंजीकरण के कानून में संशोधन से क्या-क्या बदलाव होंगे?
पूरे डेटाबेस को डिजिटल बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। अभी राज्य मैनुअल आंकड़े रखते हैं। हर राज्य को ये आंकड़े अब डिजिटल करने होंगे। इससे बहुत जल्दी ही पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। अभी राज्यों से वार्षिक रिपोर्ट के रूप में ये आंकड़े केंद्र के पास जाते हैं। कम से कम एक साल बाद तस्वीर सामने आ पाती है। नए कानून पर अमल के बाद एक समय यह आएगा कि राज्यों में जन्म-मृत्यु का आंकड़ा दर्ज होते ही केंद्र के पास भी खुद ब खुद यह डेटा अपडेट हो जाएगा।

▪ ये समन्वय कैसे किया जाएगा?
हर राज्य में राज्य सरकार की ओर से नियुक्त चीफ रजिस्ट्रार को केंद्र की ओर से तय किए गए फॉर्मेट में यूनीफाइड डेटा रखना होगा और इसे केंद्र में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजना होगा।

▪ केंद्र में डेटाबेस बनने से क्या लाभ होगा?
अभी तक कई तरह के कार्ड हैं। इनमें आधार, लाइसेंस, पासपोर्ट, राशनकार्ड, मतदाता प्रमाण आदि शामिल हैं। ये डेटाबेस लगातार बढ़ रहा है। लेकिन किसी की मृत्यु के बाद भी कार्ड सक्रिय रहते हैं। इससे डेटा का जमाव व दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ रही है। केंद्रीय स्तर पर ताजा डेटा होने से मृतकों के डेटा को पूरे बेस से हटाया जा सकेगा।

▪ कानून से सरकार बड़ा बदलाव क्या चाहती है?
नागरिकों का केंद्रीय स्तर पर डेटाबेस होने के बाद सरकार सीधे किसी भी योजना या सुविधा के पात्र व्यक्ति की मॉनिटरिंग कर पाएगी। मसलन, जन्म का सही डेटा होने से जब कोई किशोर 18 वर्ष का होने जा रहा होगा तो उसके मोबाइल पर अलर्ट मिलने लगेंगे कि उसे अब मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लेना चाहिए।

▪ जनगणना पर इसका क्या असर होगा?
नए कानून से जनगणना के लिए 10 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। हर महीने आबादी की पूरी तस्वीर केंद्र के पास होगी। हालांकि ऐसा होने में समय लगेगा। 2022 की जनगणना तय प्रक्रिया से होगी, हालांकि डेटा कलेक्शन आसान हो जाएगा।

▪ कानून में एकदम नए प्रावधान क्या हैं?
अनाथ, सड़क पर बेसहारा छोड़े गए या गोद लिए गए बच्चों के प्रमाण पत्रों को केंद्रीय कानून के जरिए मान्यता देने की व्यवस्था इसमें शामिल है।

▪ जनता के लिए प्रक्रिया में क्या बदलाव है?
पहले के कानून में यह व्यवस्था थी कि जल्दी से जल्दी जन्म या मृत्यु की सूचना देकर प्रमाण लिया जाए। संशोधित प्रस्तावित कानून में यह समय अवधि 7 दिन रखी गई है। इसके बाद सशर्त प्रमाण पत्र मिलेगा।

दै. भास्कर 18/11/21

पुलिया जीर्ण-शीर्ण है का बोर्ड लगाया और शुरू कर दिया क्षतिग्रस्त पुलिया पर आवागमन

रतलाम | बारिश के कारण दो महीने पहले बाजना बस स्टैंड-धोलावड़ रोड की अमृतसागर तालाब किनारे स्थित पुलिया धंस गई थी। इससे रास्ता बंद हो गया था और लोगों को एक किमी घूम कर जाना पड़ रहा था। तालाब में पानी होने से लोक निर्माण विभाग इसका काम शुरू नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अब विभाग ने पुलिया के पास ही पुलिया क्षतिग्रस्त है का बोर्ड लगाकर इस पर आवागमन शुरू कर दिया है ताकि क्षतिग्रस्त पुलिया से गुजरने के दौरान कोई हादसा हो तो विभाग जिम्मेदार ना रहे।

दै. भास्कर 18/11/21

बाल चिकित्सालय, ननि में प्रवेश के लिए टीकाकरण जरूरी

सख्त कार्रवाई : संचालकों ने दोनों डोज नहीं लगाए तो कलेक्टर ने बंद करवा दी दुकानें

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। वैक्सीनेशन महाअभियान में दूसरे डोज का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब सख्ती शुरू हो गई है। शासकीय अमला दूसरे डोज से वंचित लोगों की पहचान कर उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके साथ ही राशन दुकान, नगर निगम, बाल चिकित्सालय में पहुंचने वालों को प्रवेश से पहले दोनों डोज लगे होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है।

बुधवार को जिले में 298 सेंटरों पर वैक्सीनेशन कर 45 हजार टीके लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया गया। शहर में सुबह करीब 11 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने चांदनीचौक, माणकचौक, डालू मोदी बाजार, दो बत्ती, स्टेशन रोड इत्यादि क्षेत्रों में दुकानों पर पहुंचकर संचालकों, कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की जानकारी ली। राह चलते लोगों से भी वैक्सीनेशन के बारे में पूछताछ की। जिन दुकानदारों द्वारा वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लगवाए गए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकानें बंद करा दी गईं और जुर्माना भी लगाया गया। कलेक्टर के साथ एसपी गौरव तिवारी भी मौजूद रहे।

बाजारों में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दुकानों के सामने वाहन रोककर दुकानदारों के मोबाइल पर दोनों डोज के मैसेज चेक किए। चांदनीचौक में पेटलावदवाला ज्वेलर्स तथा चौमुखीपुल पर कन्हैया स्वीट्स पर दुकानदार के मोबाइल पर दोनों डोज के मैसेज नहीं पाए गए तो कलेक्टर द्वारा उनकी दुकानें बंद करने तथा जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। दोनों दुकानदारों को तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए निर्देशित किया।

नगर निगम के कार्यालय में बिना सर्टिफिकेट के प्रवेश से रोकते हुए कर्मचारी। ●नईदुनिया

वैक्सीनेशन पर तारीफ भी की

डालू मोदी बाजार में दुकान रिवाज के हेमंत मुठिया तथा स्टेशन रोड पर खंडेलवाल नमकीन के अंकुश खंडेलवाल के मोबाइल पर दोनों डोज के मैसेज पाए गए। कलेक्टर ने उनको शाबाशी दी। इस दौरान निगमायुक्त सोमनाथ झारिया भी उपस्थित रहे। बाजारों में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तैनात किए गए राजस्व नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से भी वैक्सीनेशन की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

टीकाकरण अभियान में शहर में 39 सेंटर बके अलावा 10 आटो रिक्शा वाहनों द्वारा चलित रूप से शहर में भ्रमण करके टीके लगाए गए। कलेक्टर द्वारा अपील की गई है कि आमजन 18 नवंबर को भी उन्हीं स्थानों पर पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं।

बंजली में घर-घर जाकर लगाए टीके

वैक्सीनेशन महा अभियान के तहत ग्राम पंचायत बंजली में घर-घर जाकर टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर क्लस्टर प्रभारी सुशील आर्य, एएनएम अलका राव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वाति जोशी, कलाबाई, कुलदीपसिंह सोनगरा, बीएलओ सचिव भूपेंद्रसिंह राठौर, सहायक सचिव लोकेश जा आदि ग्रामीण साथ में रहे। नई.

चौमुखीपुल चौराहा पर बंद कराई गई मिठाई की दुकान। ●नईदुनिया

बंजली में घर जाकर टीका लगाती हुई स्वास्थ्यकर्मी। ●नईदुनिया

नईदुनिया 18/11/21

अतिक्रमण हटाया, सात गुमटियां व अन्य सामग्री जब्त

रतलाम। शहर के मुख्य मार्गों, फुटपाथ आदि पर गुमटियां, ठेले, अन्य साम्रगी रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 16 नवम्बर मंगलवार को अतिक्रमण दल ने कार्यवाही करते हुए 7 गुमटियां व अन्य सामग्री जब्त की। अतिक्रमण दल द्वारा अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड रोड, पावर हाउस रोड, पर अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जिसके तहत 7 अवैध अस्थाई गुमटियां हटाकर जब्त की गई इसके अलावा पावर हाउस रोड से रेडिमेड गारमेंट की दुकानों के सामने रखे सामान को जब्त किया गया साथ ही पोलोग्राउण्ड के पास से मूर्ति वालो को हटाया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

राज एक्सप्रेस 18/11/21

मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाया

रतलाम ● शहर के मुख्य मार्गों, फुटपाथ आदि पर गुमटियां, ठेले, अन्य सामग्री रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मंगलवार को अतिक्रमण दल ने कार्रवाई करते हुए 7 गुमटियां व अन्य सामग्री जब्त की। अतिक्रमण दल द्वारा आंबेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड रोड, पॉवर हाउस रोड, पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जिसके तहत 7 अवैध अस्थायी गुमटियां हटाकर जब्त की गई, इसके अलावा पॉवर हाउस रोड से रेडिमेड गारमेंट की दुकानों के सामने रखे सामान को जब्त किया गया । साथ ही पोलोग्राउण्ड के पास से मूर्ति वालों को हटाया गया। नगर निगम द्वारा यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

स्वदेश 18/11/21

रेलवे की भूमि से हटाए मकानों के अवैध निर्माण

रतलाम। पुलिस और प्रशासन की मदद से आखिरकार जावरा रोड स्थित अवैध शिवशंकर कॉलोनी में बने मकानों को तोड़ने की कार्यवाही कर डाली। इन मकानों में रहने वाले अधिकांश परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डोसीगांव में फ्लैट मिल चुके हैं। 175 परिवारों को गृह प्रवेश भी कराया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अवैध निर्माण पर कब्जा नहीं छोड़ा था। इनसे मंगलवार को मकान खाली करवाकर जेसीबी से अवैध निर्माण हटाए गए।

शिव शंकर कॉलोनी पूरी रेलवे की जमीन पर बनी थी। इस कालोनी में निवासरत परिवारों को पहले भी कई रेलवे ने हटाने की कार्यवाही की थी, लेकिन तब जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप कर तोड़फोड़ नहीं होने दी थी। बाद में सभी रहवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डोसीगांव क्षेत्र में बनाई गई बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट दिए गए। हालांकि कुछ परिवार अब भी नए आवास नहीं ले पाए है, लेकिन अधिकांश हितग्राहियों ने नया आवास मिलने के बाद भी इस अवैध कॉलोनी में मकान खाली नहीं किया था। रेलवे ने ऐसे मकानों को खाली करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

इस दौरान क्षेत्रवासियों ने चक्काजाम कर विरोध भी जताया। प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम में हंगामे की आशंका के चलते पहले ही पुलिस और प्रशासन अमले को मदद के लिए बुला लिया गया था। इससे कार्यवाही में कोई बड़ी बाधा नहीं आई।

उपग्रह

उपग्रह 18/11/21

खुले में गंदगी करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ● नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत मंगलवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर ओमवती बाई ओल्ड ग्लोबस कॉलोनी पर 5000, विजय दो बत्ती पर 500, नारायण नयागांव, अशोक दो बत्ती, रामू जाटव अमृत सागर पर 100-100, बुरहान अमृत सागर, अमन-रमेश, सुरेन्द्र बाजना बस स्टैण्ड, वात्सल्य स्टोर, भारत न्यू रोड, रमेश दो बत्ती पर 50-50 रुपए का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

स्वदेश 18/11/21

गंदगी फैलाने वाले सात लोगों से वसूला जुर्माना

रतलाम। खुले में गंदगी करने पर कुलदीप चौहान चांदनी चौक से 1000, अजय कुमार मिश्रा ग्लोबस कालोनी से 500, जासमीन चूड़ीवाला जावरा रोड से 250, कन्हैयालाल घास बाजार, महावीर चाय वाला चौमुखी पुल से 100-100 व भोलेनाथ नाश्ता पाइंट त्रिपोलिया गेट से 50 रुपये का स्पाट फाइन वसूला गया। सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश दी गई।

साजिद हुसैन को नोटिस

रतलाम। नगर निगम के भृत्य साजिद हुसैन का बिना सूचना के 13 नवंबर से कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अनुपस्थित दिवसों का वेतन काटा गया। साथ ही निलंबित किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

मित्र निवास रोड फुटपाथ से फल विक्रेताओं को हटाया

रतलाम। शहर के मुख्य मार्गों, फुटपाथ आदि पर गुमटियां, ठेले, अन्य साम्रगी रखकर अतिक्रमण करने वालों पर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार बुधवार को अतिक्रमण दल ने कार्रवाई की। मित्र निवास रोड फुटपाथ से आठ फल विक्रेताओं को हटाया गया।

नई.

नईदुनिया 18/11/21

जांच में वैक्सीन के डोज नहीं लगवाने पर दुकानें की बंद

रतलाम। वैक्सीनेशन महा अभियान के अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बुधवार को शहर के व्यस्त बाजारों में भ्रमण कर वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया गया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक गौरव

▸ कलेक्टर ने किया शहर के व्यस्त बाजारों में वैक्सीनेशन का निरीक्षण

तिवारी भी थे। कलेक्टर ने चांदनीचौक, माणकचौक, डालू मोदी बाजार, दो बत्ती, स्टेशन रोड इत्यादि क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए वैक्सीनेशन देखा। राह चलते लोगों से वैक्सीनेशन के बारे में पूछताछ की, दुकानदारों से वैक्सीनेशन कराने की जानकारी ली। जिन दुकानदारों द्वारा वैक्सीनेशन के दोनों डोज नहीं लगवाए गए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकानें बंद करा दी गई, जुर्माना भी लगाया गया और तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर भिजवाया गया।

कलेक्टर ने दुकानों के सामने वाहन रोककर दुकानदारों के मोबाइल पर दोनों डोज के मैसेज चेक किए। इस दौरान चांदनीचौक में पेटलावदवाला ज्वेलर्स तथा चौमुखीपुल पर कन्हैया स्वीट्स दुकानदार के मोबाइल पर दोनों डोज के मैसेज नहीं पाए गए तो कलेक्टर द्वारा उनकी दुकानें करने तथा जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। दोनों दुकानदारों को तत्काल वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए निर्देशित किया।

डालू मोदी बाजार में दुकान रिवाज के हेमंत मुठिया तथा स्टेशन रोड पर खंडेलवाल नमकीन के अंकुश खंडेलवाल के मोबाइल चेक करने पर दोनों डोज के मैसेज पाए गए। कलेक्टर ने उनको शाबाशी दी। इस दौरान निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया भी उपस्थित थे। बाजारों में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर तैनात किए गए राजस्व नगर निगम तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से भी वैक्सीनेशन की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

नवभारत

जेएमडी पैलेस में भी वेक्सीनेशन

महा अभियान के तहत शहर के कई क्षेत्रों में बुधवार को वैक्सीनेशन किया गया। जेएमडी पैलेस में महिला बाल विकास विभाग की टीम पहुंची। पर्यवेक्षक एहतेशाम

अंसारी के नेतृत्व में टीम ने यहां कार्य कर रहे श्रमिकों व अन्य आयोजनकर्ताओं से जानकारी ली व जिन को वैक्सीन की दोनो डोज नहीं लगी थी, उनके समय पूर्ण होने पर उनका वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान जेएमडी पैलेस के ऑनर प्रवीण सोनी भी वहां पहुंचे और उन्होंने सहयोग किया। मैनेजर उमेश शर्मा द्वारा सहयोग करते हुए शादी में आए महमानों से परिचय करवाया व टीके लगवाए गए।

नवभारत 18/11/21